PUBLIC NOTICE

Whereas, M/s. Tulip Infratech Pvt. Ltd. (the Developer) is in the process of development of a Group Housing Colony over an additional area measuring 7.64375 acres (Licence No.34 of 2024 dated 07.03.2024) in Group Housing Colony area measuring 25.44 acres (Licence no. 78 of 2010 dated 15.10.2010) thereby total site area 33.08375 Acres in Sector 69&70, Gurugram. And whereas, several individuals have made bookings/ entered into

And whereas, several individuals have made bookings/ entered into flat buyer agreement for allotment of flat/property in the said colony (hereinafter referred as allottees). And, whereas, the building plans earlier approved for the said colony are now proposed to be revised.

And whereas, the office of Director General, Town and Country Planning, Haryana, Chandigarh has required seeking of objection against the revision of said building plans.

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees in said colony on the proposed revision of the building plan of said colony. A copy of the earlier building plan approved vide memo no. ZP-663/AD(RA)/2021/ 8279, Dated 26.03.2021 and the revised building plans approved inprinciple vide Memo, No. ZP-663-II/ PA(DK)/2024/34170 Dated 13.11.2024 is available for perusal on our website (www.tulipgroup.in) and at the office of undersigned at Tulip Infratech Pvt. Ltd 76-G. Sector-18, Gurugram as well as in the office of Senior Town Planner. Gurugram.

Any allottee having any objection on revised building plans, may file his objection in the office of Senior Town Planner, Sector 14, Gurugram within 30 days of publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revision in the building plans.

Sr. Manager- Commercial M/s. Tulip Infratech Pvt. Ltd.

सार्वजनिक सचना

चुँकि, मेसर्स ट्युलिप इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) एक ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया में है, जिसमें 7.64375 एकड (लाइसेंस नंबर 34 ऑफ 2024, दिनांक 07.03.2024) का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल है जो कि 25.44 एकड़ (लाइसेंस नंबर 78 ऑफ 2010, दिनांक 15.10.2010) के ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र में है, इस प्रकार कुल साइट क्षेत्र 33.08375 एकड़ है, जो सेक्टर 69 और 70, गुरुग्राम में स्थित है। और जबकि, कई व्यक्तियों ने उक्त कॉलोनी में फ्लैट / संपत्ति के आवंटन के लिए बुकिंग की है / फ्लैट खरीदार समझौते में प्रवेश किया है (जिसे आगे चलकर आवंटी कहा जाएगा)। और, जबकि, उक्त कॉलोनी के लिए पहले से स्वीकृत भवन योजनाओं को अब संशोधित करने का प्रस्ताव है।

जब तसावित करने की प्रस्ताव है। और जबिक, निदेशक जनरल, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय ने उक्त भवन योजनाओं के संशोधन के खिलाफ आपत्ति मांगी है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त कॉलोनी के किसी भी आवंटी से भवन योजना के प्रस्तावित संशोधन पर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। पहले स्वीकृत भवन योजना की प्रति मेमो नं. ZP-663/AD(RA)/2021/8279, दिनांक 26.03. 2021 और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत संशोधित भवन योजनाओं की प्रति मेमो नं ZP-663-II/PA(DK)/2024/34170 दिनांक 13.11.2024 हमारी वेबसाइट (www.tulipgroup.in) पर और हमारे कार्यालय ट्युलिप इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 76—जी, सेक्टर—18, गुरुग्राम के कार्यालय में साथ ही वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है। किसी भी आवंटी के पास यदि संशोधित भवन योजनाओं पर कोई आपत्ति है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति वरिष्ठ नगर योजनाकार के कार्यालय, सेक्टर 14. गुरुग्राम में दाखिल कर सकता है, अन्यथा यह माना जाएगा कि भवन योजनाओं के प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है।

> वरिष्ठ प्रबंधक—वाणिज्यिक मेसर्स ट्यूलिप इंफ्राटेक प्रा. लि.